पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–01 / 2022

1. आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश जाति जाट निवासी पक्का सारणा हाल चक 16 केएलडी खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता वादी की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–14.10.2022

यह वादी / प्रार्थी का वादपत्र / प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि वादी की माता कैलाश पत्नी रामप्रताप के नाम चक 16 केएलडी के मु0नं0 54 / 18 के किला नं0 4 ता 8, 12 ता 19, 21 ता 25 तादादी 3.6912 है0 व मु0नं0 54 / 19 के किला नं0 1 ता 11 तादादी 2.7693 है0 बीघा कुल तादादी 6.3605 है0 कमाण्ड / अनकमाण्ड भूमि आवंटन शुदा थी और माता के देहान्त बाद उक्त भूमि विरासतन वादी और उसकी बहन सुचित्रा के नाम दर्ज हो गई और बहन सुचित्रा ने इन्तकाल सं0 80 दिनांक 14.10.21 से वादी के पक्ष में हक त्याग कर दिया तथा मु0नं0 54 / 18 के किला नं0 8 व 23 माता को स्मालपेच आवंटन था जिसकी खातेदारी इन्तकाल सं0 81 दिनांक 10.11.21 से दर्ज हुआ है। माता के फौत होने के बाद विरासतन वादी का नाम आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश दर्ज होना था चूंकि वादी के समस्त दस्तावेजो में नाम पिता का है। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरुस्ती अपने नाम आलोक पुत्र कैलाश की जगह राजस्व रिकॉर्ड में आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश जाति जाट निवासी पक्का सारणा दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। अतः वादी का नाम आलोक पुत्र कैलाश की जगह आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश घोषणात्मक दुरुस्ती की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:26 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम वादपत्र / प्रार्थनापत्र दर्ज [illegible] किया गया। वादी / प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र / वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज आधारकार्ड, मूलनिवास प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, परिचयपत्र, [illegible] मृत्यु प्रमाणपत्र, वारिसनामा, उक्त भूमि से संबंधित दस्तावेज जमाबंदी, खातेदारी, [illegible]टन पट्टा, बहन सुचित्रा द्वारा की दस्तबरदारी आदि की छायाप्रति प्रस्तुत किये।

पहचान दस्तावेज, निवास प्रमाणपत्र व वारिसनामा में वादी का नाम आलोक पुत्र रामप्रताप तथा माता कैलाश अंकित है। जो कि वादी / प्रार्थी अनुसार सही नाम है। वादी / प्रार्थी के पिता रामप्रताप ने भी इस बाबत् शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादी/प्रार्थी द्वारा दस्तावेज व पिता रामप्रताप के शपथपत्र के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है वादी/प्रार्थी का नाम आलोक पुत्र कैलाश उक्त भूमि माता के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने की वजह से दर्ज हो गया जो वादी दुरुस्त करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथपत्र पर विश्वास करते हुवे वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आलोक पुत्र कैलाश की जगह आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम आलोक पुत्र कैलाश की जगह आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:26 IST
Reason: SelfAttested